रजिस्टर्ड नं० ल-33/एस० एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 अगस्त, 1992/2 भाद्रपद, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर.

कारण बताओ नोटिस

रिकांगपिओ, 13 अगस्त, 1992

क्रमांक केनर-426/74-718.—क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (ना०) निचार ने अपनी रिपोर्ट क्रम सं० 679, दिनांक 29-6-91 द्वारा सूचित किया है कि श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कटगांव ने कुमारी केसंग आगमो पुत्री श्री नरगू दोर्जे के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया है कि कुमारी केसांग आगमो ग्राम यांग्पा-I, डाकघर हरी, तहसील निचार की निवासी और अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित हैं ;

क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (ना०) निचार ने यह भी सूचित किया है कि श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कटगांव ने श्री सनम डूब पुत्र श्री असमीर, ग्राम यांगपा-I, के पक्ष में आयु प्रमाण-पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया है ;

क्योंकि श्री छेरिंग ज्ञालू, प्रधान, ग्राम पंचायत यांग्पा ने आरोप लगाया कि क्योंकि श्री सुन्दर लाल, ग्राम पंचायत कटगांव के उप-प्रधान हैं अतः उन्होंने ग्राम पंचायत यांगपा के प्रमाण-पत्र गलत जारी किए हैं ;

क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (ना०) निचार की रिपोर्ट अनुसार श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान ने उपरोक्त दोनों प्रमाण-पत्र अनुचित तरीके से जारी किये हैं । क्योंकि जिन व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं उन्हें यंगपा का निवासी लिखा है और इन व्यक्तियों को केवल यांगपा पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं ;

क्योंकि श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान कटगांव ने उपरोक्त दोनों प्रमाण-पत्र अनुचित तरीके से जारी किए हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने उप-प्रधान पद का दुरुपयोग किया है;

क्योंकि श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान को इस कृत्य के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 31-8-91 को जारी किया गया;

क्योंकि श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में अपने 26-8-91 के पत्र में सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां मांगी जिसके बारे उन्हें लिखा गया कि वे यह बतायें कि कारण बताओ नोटिस में आरोप उन्हें मान्य है या नहीं। प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां उन्हें जांच के दौरान दे दी जाएगी;

क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (ना0) निचार ने अपने पत्र दिनांक 4-12-91 द्वारा सूचित किया कि कु0 केसंग आंगमो से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र श्री सुन्दर लाल ने न केवल अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का बनाया बल्कि यह प्रमाण-पत्र तथ्यों पर भी आधारित नहीं है। क्योंकि यांगपा पंचायत परिवार रजिस्टर अनुसार कुमारी केसंग आंगमो, ग्राम पंचायत यांगपा की निवासी नहीं है और जो प्रमाण-पत्र श्री सनम डूब का जारी किया गया है वह श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान कटगांव के क्षेत्राधिकार से बाहर का होने के नाते गलत है;

क्योंकि श्री सुन्दर लाल ने अपने पत्र दिनांक 29-4-92 द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित जांच पहले ही की जा चुकी है और कार्यवाही समाप्त हो चुकी है परन्तु फिर भी उन्हें बार-बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है जो कि निराधार एवं गलत है;

क्योंकि श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान कटगांव (भावा) के 29-4-92 के पत्र के आधार पर उप-मण्डल अधिकारी (ना0) निचार से कथित पूर्व जांच बारे रिपोर्ट मांगी गई;

क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (ना0) निचार के पत्र दिनांक 23-7-92 के अनुसार इस मामले में जांच उनसे पूर्व अधिकारी द्वारा आरम्भ की गई थी जोकि पूर्ण नहीं हुई थी। अतः उन्होंने इस बारे छान-बीन की और 29-6-91 को रिपोर्ट भेज दी;

क्योंकि उप-मण्डल अधिकारी (ना0) की रिपोर्ट 29-6-91, पत्र क्रमांक 4-12-91 और 23-7-92 के अनुसार यह पाया गया कि श्री सुन्दर लाल ने उपरोक्त दोनों प्रमाण-पत्र अनुचित रूप से जारी किए हैं और कुमारी केसंग आंगमो से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र तथ्यों पर न आधारित होते हुए, झूठा प्रमाण-पत्र जारी किया जो कि उप-प्रधान जैसे गरिमापूर्ण पद के नैतिक आचरण के विरुद्ध है।

अतः मैं, दीपक सानन, उपायुक्त किन्नौर स्थित रिकांगपिओ उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं, श्री सुन्दर लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कटगांव (भावा) को पुनः आदेश देता हूं कि वह बतायें कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त कृत्य के लिए उप-प्रधान पद से निलम्बित किया जाये।

उनका उत्तर इस पत्र के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

दीपक सानन,
उपायुक्त,
जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित